

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/288

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत् ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री रामकुमार
पिता मूला जाति बैरवा निवासी वीरवा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला
है। प्रार्थी की जाति ग्राम वीरवा पटवार मण्डल वीरवा के खाता संख्या..... में चमार
दर्ज है जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

रामकुमार

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरिक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री रामकुमार पिता मूला की
ग्राम वीरवा प.0म0 वीरवा के खाता संख्या..... में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा
करें।

पटवारी
रामकुमार
प.0म0 वीरवा
92-8-2022

भू.अ.नि.0
वृत्त वीरवा
92-8-2022

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री रामकुमार पिता मूला की
ग्राम वीरवा प.0म0 वीरवा के खाता संख्या..... में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की
सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
रामकुमार
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिप्राय के प्रार्थी
श्री रामकुमार पिता मूला की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम वीरवा
प.0म0 वीरवा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 233 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश
दिया जाता है। अतः तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामकुमार
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

223/22
24/6/22